

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 09/आवंटन/

पटना, दिनांक 3/10/18

सं० सं०-05/उ० नि० ब० (आवंटन) 02/2018

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
(संलग्न तालिकानुसार)।

विषय :-

मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन-मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0002-निदेशन, विपत्र कोड-23-2852.80.001.0002 के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में गैर योजना (स्थायी) कार्यालयों को रू० 1,93,01,400/- (एक करोड़ तिरानवे लाख एक हजार चार सौ रूपये) मात्र का आवंटन।


महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय के वहन हेतु कुल रू० 1,93,01,400/- (एक करोड़ तिरानवे लाख एक हजार चार सौ रूपये) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

- 2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में आय-व्ययक शीर्ष-2852-उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन-मांग संख्या-23, उपशीर्ष-0002-निदेशन, विपत्र कोड- 23-2852.80.001.0002 के अन्तर्गत विकलित होगा।
- 3 यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय वहन करने के लिए राशि का आवंटन है।
- 4 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि०(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही किया जाएगा तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- 5 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखा जाय :-
(क) योजना के स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।
(ख) एक इकाई के राशि दूसरे इकाई में व्यय नहीं किया जाय।
(ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।
(घ) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं०/बिल नं० एवं मासिक CTMIS का प्रतिवेदन के साथ अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
(च) 2018-19 का प्रत्यार्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2019 तक आवश्य भेज दें।

(छ) मुख्य बजट शीर्ष-2852-उद्योग-उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन-मांग संख्या-23 उपशीर्ष 0002 निदेशन-विपत्र कोड-23-2852.80.001.0002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में गैर योजना (स्थाई) कार्यालयों को स्थापना व्यय वहन करने के लिए कुल राशि रू० 1,93,01,400/- (एक करोड़ तिरानवें लाख एक हजार चार सौ रुपये) मात्र के आवंटन के आलोक में सम्पूर्ण वर्ष के स्थापना खर्च की गणना कर ली जाय। इस संबंध में वित्त विभाग के प्रासंगिक आदेश की कंडिका-11 में निहित अनुदेश का अनुपालन किया जाय। यदि आवंटन से अधिक राशि की आवश्यकता हो तो पूर्ण औचित्य एवं पदवार व्यय के साथ कारणों को दिखाते हुए शीघ्र सूचित करें।

विश्वासभाजन




उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 09/31/18

पटना, दिनांक 3-10-18

प्रतिलिपि :- संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 09/31/18

पटना, दिनांक 3-10-18

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम/निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ए०सी०-डी०सी० यू०सी० कोषांग, उद्योग विभाग/प्रशाखा-05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं आई० टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग-उप मुख्य शीर्ष-80 सामान्य लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन मांग संख्या 23 उपशीर्ष 0002 निदेशन विपत्र कोड 23-2852.80.001.0002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय को वहन करने के लिए गैर योजना (स्थाई) कार्यालयों को राशि का आवंटन।

क्र०	कार्यालय का नाम /निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	वेतन	जी० या० भत्ता	मकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	योग वेतन एवं भत्ते	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	उद्योग निदेशालय, पटना/सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।	0	0	0	0	0	0	48700	48700
2	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, पटना।	1254500	641000	3000000	170200	50000	5115700	0	5115700
3	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जहानाबाद।	300000	40000	300000	0	7000	647000	0	647000
4	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, नवादा।	240000	66000	300000	0	10000	616000	0	616000
5	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, गया।	272000	72000	496500	21100	12000	873600	0	873600
6	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, लक्खीसराय।	358000	65000	321900	0	10000	754900	0	754900
7	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, जमुई।	170600	79400	582000	0	13000	845000	0	845000
8	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, मुंगेर।	275000	82000	400000	20000	13000	790000	0	790000
9	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, भागलपुर।	411600	100600	500000	28500	18000	1058700	0	1058700
10	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, बांका।	105500	9500	234100	0	7000	356100	0	356100
11	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, रोहतास।	200000	75000	560000	0	15000	850000	0	850000
12	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, कैमूर (भभुआ)	100000	45000	300000	0	7000	452000	0	452000
13	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, मुजफ्फरपुर।	300000	70000	500000	20000	10000	900000	0	900000
14	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली।	120000	80000	500000	0	10000	710000	0	710000
15	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सीवान।	291000	100700	760000	0	12000	1163700	0	1163700
16	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, दरभंगा।	105000	105000	800000	23500	12000	1045500	0	1045500
17	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सीतामढ़ी।	78800	90000	800000	0	10000	978800	0	978800
18	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्तीपुर।	100000	70600	488000	0	7000	665600	0	665600
19	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, सुपौल।	26500	33000	300000	0	6000	365500	0	365500
20	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, पूर्णिया।	60700	68200	557800	12900	7000	706600	0	706600
21	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, शिवहर।	100000	50000	200000	0	8000	358000	0	358000
22	योग	4869200	1943000	11900300	296200	244000	19252700	48700	19301400

कुल (एक करोड़ तिरानवें लाख एक हजार चार सौ रुपये) मात्र।


 उद्योग निदेशक
 बिहार, पटना।